अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

मिस अपील वाद संख्याः 08/2011

पुष्पलता देवी — अपीलार्थी

बनाम

राज्य एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 01.02.11 ई० अन्दर आंगनबाड़ी सेविका अपील वाद संख्याः 09/2009 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में दाखिल वाद संख्या 09/2009 के संबंध में यह कथन किया गया है कि रेस्पोण्डेन्ट रेखा देवी दिनांक 18.05.2007 को ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित थी, उनके द्वारा दिनांक 22.03.2007 को सुबोध पासवान को आवेदन समर्पित करने के बावजूद भी उनका नाम मेधा सूची से बाहर रखा गया। उनके द्वारा आगे यह भी कहा गया है कि रेस्पोण्डेन्ट वहाँ सेविका के पद पर कार्य कर रही थी परन्तु उन्हें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा हटा दिया गया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते है कि दिनांक 18.05.07 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में जब रेखा देवी उपस्थित थी, यह सावित करता है कि उक्त तिथि को बाल विकास परियोजना कार्यालय, कहरा के कार्यालय आदेश के अनुपालन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, द्वारा संबंधित मार्गदर्शिका 2006 के नियम–5 के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति के साथ में की गयी। रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष द्वारा समाहर्त्ता, सहरसा के समक्ष यह कहा गया है कि दिनांकः 18.05.2007 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में एक मेधा सूची तैयार की गई, जिसमें उनका (रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष) का नाम सूची में नहीं रखा गया वो निम्न न्यायालय में वाद की सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष रेखा देवी (समाहर्त्ता, सहरसा के समक्ष दायर वाद संख्याः 09/09 में अपीलार्थी) द्वारा

दिनांकः 22.03.2007 को सुबोध पासवान को अपना आवेदन समर्पित किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी इस अपीलीय न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहते हैं कि दिनांकः 28.02.2007 के प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा यह प्रचार प्रसार किया गया कि सहरसा जिला के सभी प्रखंडों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु दिनांक' 16.03.2007 से 25.04.2007 के बीच ग्राम सभा का आयोजन होने जा रहा है। चार प्रखंडों सत्तर कटैया, कहरा, नौहट्टा तथा महिषी हेतु 21.03.07 से 25.04.07 के बीच उक्त कार्य हेतु अलग–अलग तिथियां निर्धारित की गई। उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में अपीलार्थी तथा रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष ने प्रखंड कार्यालय में अपना आवेदन समर्पित किया तथा उनके आवेदन को पंचायत सचिव श्री सुबोध पासवान द्वारा प्राप्त किया गया जिनका बाद में प्रखंड विकास पदधिकारी, कहरा द्वारा स्थानांतरण कर दिया गया एवं उनके स्थान पर दिनांकः 19.04.2007 के प्रभाव से श्री हरिनंदन यादव को प्रतिनियुक्त कर दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते है कि जिला पदाधिकारी, सहरसा को वाद से संबंधित इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए था कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा विनीता राम द्वारा दिनांकः 22.04.2007 (यानि दिनांकः 19.04.2007 के बाद) को विभागीय पत्रांकः 2783, दिनांकः 03.10.2006 के आलोक में मुखिया/ पंचायत सचिव, पटुआहा हाट को यह सूचित किया गया कि नव सृजित आंगबाड़ी केन्द्रों के लिए नियुक्ति की जानी है एवं उपरोक्त नियुक्ति के लिए आवेदन पत्रों को समर्पित करने हेतु नई तिथियाँ निर्धारित की जाए क्योंकि पूर्व के आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है।

आगे यह भी कथन करते हैं कि एक बार जब पूर्व के सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया तो रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांकः 22.03.2007 को पंचायत सचिव श्री सुबोध पासवान को प्राप्त करवाया गया आवेदन स्वतः ही अप्रभावी/अर्थहीन हो गया।

परन्तु समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष के दलील यह कहते हुए बल दिया गया कि रेस्पोण्डेन्ट ने सेविका पद हेतु दिनांकः 22.03.2007 को आवेदन समर्पित किया एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा ने उन्हें उक्त पद पर नियुक्त किया, जबकि दिनांकः 18.05.2007 को आयोजित ग्राम सभा की आयोजित बैठक में तैयार की गई मेधा सूची में उनका नाम नहीं था।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा द्वारा दिनांकः 22.04.2007 को निर्गत पत्र के अनुसार रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांकः 22.03.2007 को समर्पित आवेदन निरस्त हो गया एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा के कार्यालाय से दिनांकः 29.04.2007 को निर्गत पत्र के आलोक में दिनांकः 22.04.2007 के बाद नए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए जिसके आलोक में आवेदन पत्रों की प्राप्ति हेतु दिनांकः 01.05.2007 से 09.05.2007 के बीच की तिथि निर्धारित की गई, विभागीय पत्रांकः 2783 दिनांकः 03.10.2006 के आलोक में नव सृजित आंगनबाड़ी केन्द्र पटुआहा मध्य के लिए आम–सभा के आयोजन हेतु दिनांकः 16.05.2007, मेधा सूची के प्रकाशन हेतु दिनांकः 10.05.2007 की तिथि निर्धारित की गई। आगे यह भी कथन करते हैं कि समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा इस तथ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए था कि पत्रांकः 126 दिनांकः 09.05.2007 द्वारा कहरा प्रखंड अंतर्गत 13 पंचायतो को नए आंगनबाड़ी केन्द्र गठित करने हेतु स्वीकृति दी गई। उक्त 13 पंचायतों की सूची में क्रमांक 7 पर अंकित ग्राम पंचायत पटुआहा को 2 (दो) आंगनबाड़ी केन्द्रों के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई जिसके लिए दिनांकः 16.05.2007 को पूर्वाहन् 8:00 बजे से पूर्वाहन् 10:00 बजे तक ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई वो उक्त पत्र के आलोक में मुखिया एवं ग्राम सेवक को निर्धारित तिथि को मेधा सूची तैयार कर ग्राम

सभा की बैठक आयोजित करने का भी निदेश दिया गया।

आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष के अभिकथन एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा का यह विचार स्वतः गलत साबित हो जाता है कि रेस्पोण्डेन्ट ने दिनांकः 22.03.2007 को सुबोध पासवान को अपना आवेदन समर्पित किया था वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा द्वारा उक्त के आधार पर रेस्पोण्डेन्ट का चयन किया जाना अपने आप में आश्चर्यजनक तथ्य है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा विनीता राम द्वारा दिनांकः 16.05.07 को पूर्वाहन् 8:00 बजे से पूर्वाहन् 10:00 बजे तक आम सभा का आयोजन करने हेतु निर्गत पत्र पत्रांकः 126 दिनांकः 09.04.2007 के उपरांत विभागीय पत्रांकः 2783 दिनांकः 03.10.2006 के आलोक में पत्रांकः 127–1 निर्गत किया गया एवं मुखिया/पंचायत सचिव को आंगनबाड़ी केन्द्र बिचला–टोल (रहिका) हेतु जिनास लाल के राहिका पर ग्राम सभा दिनांकः 18.05.2007 को पूर्वाहनः 09:00 बजे आयोजित करने एवं जन साधारण को भी इससे अवगत कराने का निदेश दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि ग्राम पंचायत–पटुआहा के मुखिया द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा के पत्रांकः 127–1 दिनांकः 09.05.2007 के अनुपालन में दिनांकः 16.05.2007 को एक ड्म बाजे वाले बिनो राम के द्वारा नवगठित आगंनबाड़ी केन्द्र की सेविका/सहायिका के चयन हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांकः 18.05.07 को पूर्वाहन् 8:00 बजे से ग्राम सभा के आयोजन संबंधी सूचना जन साधारण को दी गई। उक्त उद्घोषणा द्वारा मुखिया ने जन साधारण को इस बात से अवगत कराया कि अपीलार्थी (उम्मीदवार) को जो पूर्व में आवेदन नहीं कर सके थे वे दिनांकः 01.05.07 से 09.05.07 तक अपने आवेदन पत्र समर्पित कर सकते है, इसके बावजूद भी रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष द्वारा न तो पंचायत सेवक के कार्यालय में और न ही ग्राम सभा में दिनांक 18.05.07 को अपना आवेदन समर्पित किया जबकि दिनांक 18.05.07 को आयोजित ग्राम सभा में वे स्वयं उपस्थित थी और चयन प्रकिया का सर्वथा उल्लंघन कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा द्वारा उनका विधि विरूद्ध चयन कर लिया गया।

विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि जिला पदाधिकारी, सहरसा को वाद से संबंधित इस विन्दु पर विचार करना चाहिए था कि दिनांक 18.05.07 को मार्गदर्शिका 2006 के प्रावधान–5 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के साथ बाल बिकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा ने उक्त आयोजित ग्राम सभा में भाग लिया एवं आम सभा की बैठक की कार्यवाही तैयार किया गया एवं उक्त कार्यवाही में रेस्पोण्डेन्ट को सेविका के पद पर चयनित किया गया एवं केन्द्र संख्या–142 हेतु दिनांक 18.05.07 को तैयार कार्यवाही पर मुखिया/पंचायत सचिव के साथ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा ने भी हस्ताक्षर किया तथा मुखिया तथा पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से पत्रांकः 08 दिनांकः 30.07.07 निर्गत हुआ।

विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा ग्राम सभा के बैठक की कार्यवाही पर दिनांकः 18.05.07 को हस्ताक्षर करने के उपरांत सेविका के पद पर अपीलार्थी एवं सहायिका के पद पर किरण कुमारी पति–अनिल यादव का चयन ग्राम सभा को अंधेरे में रखते हुए किया गया एवं मुखिया/पंचायत सचिव द्वारा रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष की नियुक्ति कर दी गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी श्री नरमदेश्वर लाल, भा०प्र०से० के समक्ष शिकायत दर्ज किया गया पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा लोकायुक्त, बिहार, पटना के समक्ष शिकायत दर्ज किया गया जिसके फलस्वरूप जॉच एवं प्रतिवेदन की मॉग के साथ मामले को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा को स्थानांतरित कर दिया गया वो मामले के जॉच के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष का चयन रद्द कर दिया गया एवं मामले से समाहर्त्ता, सहरसा को प्रतिवेदित किया

गया।

जिसके विरूद्ध रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष द्वारा समाहर्त्ता, सहरसा के समक्ष (मार्गदर्शिका–2006 के प्रावधानों के विरूद्ध) अपीलार्थी को पक्षकार न बनाते हुए अपील वाद संख्याः 09/09 दायर किया गया। परन्तु बाद में अपीलार्थी के साक्षात्कारोपरांत उन्हें वाद संख्याः 09/09 में रेस्पोण्डेन्ट बनने हेतु अनुमति प्रदान किया गया, तदोपरांत अपीलार्थी ने वाद की सुनवाई में भाग लिया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि नोटिश पर दोनों पंचायत सचिव तत्कालीन सुबोध पासवान एवं हरिनंदन यादव समाहर्त्ता, सहरसा के समक्ष उपस्थित हुए एवं उनके समक्ष यह अभिकथन किया गया कि रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष का चयन मार्गदर्शिका–2006 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं हुआ है।

रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष कि ओर से दाखिल लिखत बहस के माध्यम से रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता रेस्पोण्डेन्ट के पक्ष में यह कथन करते हैं कि सहरसा जिला के कहरा प्रखंड अन्तर्गत पटुआहा ग्राम पंचायत के पटुआहा मध्य नवसृजित ऑगनबाड़ी केन्द्र के सेविका पद हेतु दिनांकः 15.03.2007 से 22.03.2007 तक आवेदन पत्र लेने का समय निर्धारित किया गया था वो उक्त केन्द्र अत्यंत पिछड़ा वर्ग बाहुल्य का पोषक क्षेत्र घोषित किया गया।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि विपक्षी संख्याः 2 अपना आवेदन दिनांकः 22.03.2007 को दाखिल की, जिसका प्राप्ति प्रमाण क्रमांक संख्याः 13 है तथा तत्कालीन पंचायत सचिव श्री सुबोध पासवान के द्वारा मेधा सूची प्रकाशित किया गया, जिसके क्रमांक 5 पर विपक्षी संख्याः 2 का नाम दर्ज है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि दिनांकः 18.05.2007 को आम सभा का आयोजन किया गया जहॉ विपक्षी उपस्थित थी कार्यवाई पंजी पर अपना हस्ताक्षर बनायी जो कार्यवाही पंजी संख्याः 4 के क्रमांक संख्याः 56 पर दर्ज है। आम सभा के द्वारा अत्यंत पिछड़ी वर्ग की अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण पिछड़ी वर्ग की अभ्यर्थी विपक्षी संख्याः 2 का चयन आम सभा द्वारा किया गया, किन्तु मुखिया अपने स्वजातीय अभ्यर्थी (अपीलार्थी) जो सामान्य वर्ग की है का चयन करना चाहते थे, जिस वजह से बहुत दिनों तक विपक्षी को चयनपत्र नहीं दिया गया।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि विपक्षी संख्याः 2 मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा किये जा रहे धांधली वो चयन पत्र निर्गत नहीं किए जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी, सहरसा, जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा एवं अन्य पदाधिकारियों को इस बावत आवेदन दिया। विभागीय दिशा निदेश एवं निर्देशों के आलोक में तत्कालिक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा द्वारा पत्रांकः 2269 दिनांकः 08.08.2007 के आलोक में चयन पत्र दिया गया तथा प्रशिक्षणोपरांत केन्द्र का संचालन सुचारू रूप से सही तरीके से विपक्षी संख्याः 2 द्वारा किया जाने लगा।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि उक्त अनियमितताओं की जॉच की गई तथा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांकः 310 दिनांकः 04.06.2009 के द्वारा मुखिया के विरूद्ध पदच्युत करने हेतु वो तत्कालीन पंचायत सचिव को निलम्बन वो विभागीय कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की गई।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता वाद के संबंध में बहस करते हुए यह भी कथन करते कि बाद में पुष्पलता देवी (अपीलार्थी) के माध्यम से आवेदन लोकायुक्त, बिहार, पटना को भेजवाया, जिसके आलोक में पुनः जॉच किया गया और जॉच में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखी, जॉच पत्र में यह स्पष्ट हुआ कि मैंपिग पंजी वो प्रोसिडिंग बदल दिया गया, बावजूद इसके तथ्य से हटकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांकः 85 दिनांकः 04.05.2009 को विपक्षी को चयनमुक्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध

विपक्षी जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में अपील वाद संख्याः 09/2009 दाखिल की जिसमें जिला पदाधिकारी के द्वारा दिनांकः 01.02.2011 को आदेश पारित करते हुए अपील वाद को यह कहते हुए खारीज कर दिया कि पुनः से आम सभा कराई जाय।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि विपक्षी संख्याः 2 का चयन आम सभा द्वारा सही वो नियम संगत तरीके से हुआ था तथा विपक्षी बतौर सेविका उक्त केन्द्र पर कार्य कर रही थी, जिसके विरूद्ध लाभुकों का कोई भी शिकायत कभी नहीं हुआ, बावजूद इसके विपक्षी को चयनमुक्त कर दिया गया जो न्यायसंगत नहीं है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात के सुक्ष्म अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कि आंगनबाड़ी सेविका /सहायिका के चयन प्रकिया में संबंधित पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा विभागीय निदेशों की सरासर अनदेखी की गयी है जो कि आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। अतएवं उक्त संदर्भ में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई दूर्बलता (Infirmity नहीं है। अपील वाद इस निदेश के साथ खारिज किया जाता है कि जिला पदाधिकारी, सहरसा दोषी व्यक्तियों/कर्मियों पर अविलम्ब विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ अपील वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा